मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय भोपाल

क्रमांक.एफ 4–134/2017/18–1 भोपाल, दिनांक 01 अगस्त, 2017

प्रति

1. समस्त, आयुक्त,
नगर पालिक निगम, म.प्र.।

2. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,
नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र.।

3. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका/नगर परिषद् म.प्र।

विषयः–नगरीय निकायों में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों/श्रमिकों को स्थायीकर्मी योजना में विनियमित किये जाने वाली नीति के संबंध में।

संदर्भः–माननीय मुख्यमंत्री जी को अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ द्वारा संबोधित ज्ञापन दिनांक 05.07.2017 एवं मध्यप्रदेश नगर निगम, नगर पालिका कर्मचारी संघ द्वारा प्रस्तुत मांग–पत्र क्रमांक 210 दिनांक 05.07.2017.

––00––

नगरीय निकायों में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने प्रदेश के नगरीय निकायों में स्वच्छता कार्य में संलग्न कर्मचारियों/दैनिक वेतन भोगियों/श्रमिकों के नियमितिकरण करने की मांग की थी। प्राप्त मांग पत्र पर विचारोपरांत निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते हैः–

सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 5–1/2013/1/3 दिनांक 07 अक्टूबर, 2016 के अनुक्रम में नगरीय निकायों में दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को **"स्थायी कर्मियों को विनियमित किये जाने की योजना"** अंतर्गत समय सीमा निर्धारित करके लागू किया जाना है। जिसमें निम्न अतिरिक्त बिन्दुओं को भी शामिल किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

1. दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को स्थायी कर्मियो की श्रेणी देने पर निकाय बजट प्रावधान स्थापना व्यय की अधिकतम सीमा 65 प्रतिशत रहेगा। सफाई कामगारों को स्थायी कर्मी करने पर स्थापना व्यय की अधिकतम सीमा 75 प्रतिशत रहेगी।
2. निकाय के उन्ही दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को स्थायी कर्मियों की श्रेणी दी जायेगी, जो दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों की श्रेणी में आते हैं।
3. दैनिक वेतन भोगी श्रमिको को स्थायी कर्मियों की श्रेणी दिये जाने पर विचार करने के लिए निम्नानुसार समिति गठित की जाती हैः–

(अ) नगर पालिक निगमों के लिए

1.	अपर आयुक्त/उपायुक्त	अध्यक्ष
2.	संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष/उपायुक्त–	सदस्य सचिव
3.	संबंधित न.नि.में वित्त के विभागाध्यक्ष/उपायुक्त–	सदस्य
4.	अनुसूचित जाति/जनजाति का संबंधित न.नि. आयुक्त द्वारा नांमाकित किया गया अधिकारी–	सदस्य
5.	निकाय का सफाई कामगार वर्ग का वरिष्ठतम कर्मचारी या उसका नांमाकित सदस्य	सदस्य

निरंतर...02

उक्त समिति नगर निगमों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों की पदक्रम वरिष्ठता सूची का सर्वप्रथम प्रकाशन करके दावे आपत्ति आमंत्रित करने के उपरांत वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप देने के पश्चात् सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी स्थायी कर्मियों को विनियमित किये जाने की योजना संबंधी परिपत्र के निर्देशों के अनुरूप पात्र स्थायी कर्मियों की सूची का परीक्षण कर अनुशंसा उपरांत संबंधित आयुक्त, नगर पालिक निगम को प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी एवं उसकी मेयर-इन-कौंसिल से स्वीकृती प्राप्त कर आदेश संबंधित आयुक्त, नगर पालिक निगम द्वारा जारी किया जायेगा।

(ब) **नगर पालिका/नगर परिषदों के लिए**

1. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक— अध्यक्ष
2. संबंधित नगरीय निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी— सदस्य सचिव
3. संबंधित जिले के वरिष्ठ मुख्य नगर पालिका अधिकारी— सदस्य
4. अनुसूचित जाति/जनजाति का संबंधित संयुक्त संचालक द्वारा नांमाकित किया गया अधिकारी— सदस्य
5. संबंधित निकाय का सफाई कामगार वर्ग का वरिष्ठतम कर्मचारी या उसका नांमाकित सदस्य सदस्य

संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी जिला चयन समिति के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत करने हेतु निकाय में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों की पदक्रम वरिष्ठता सूची का सर्वप्रथम प्रकाशन करके दावे आपत्ति आमंत्रित करने के उपरांत वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप देने के पश्चात् सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी स्थायी कर्मियों को विनियमित किये जाने की योजना संबंधी परिपत्र के निर्देशों के अनुरूप पात्र स्थायी कर्मियों की सूची का परीक्षण कर प्रस्ताव तैयार कर संभागीय संयुक्त संचालक को प्रस्तुत करेगा। समिति अपनी बैठक में नियमानुसार प्रस्ताव का परीक्षण कर संबंधित निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, को स्थायी कर्मी हेतु पात्र दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों की सूची अनुशंसा सहित प्रेषित करेगी। पी.आई.सी. की स्वीकृति प्राप्त कर पात्र दैनिक वेतन भोगी श्रमिक को स्थायी कर्मी किये जाने के आदेश संबंधित नगरीय निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा।

उपरोक्त सम्पूर्ण प्रक्रिया को दिनांक 30 सितम्बर 2017 तक पूर्ण किये जाने की समय सीमा निर्धारित की जाती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।

(संलग्नः—सा.प्र.वि. 07 अक्टूबर 2016)

01/09/17

(आर.एस.वर्मा)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय भोपाल

पृ.क्रमांक

भोपाल, दिनांक 01 अगस्त, 2017

प्रतिलिपि:--

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल,
2. प्रमुख सचिव (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल,
3. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास,
4. विशेष सहायक, मान0 मंत्रीजी, नगरीय विकास एवं आवास,
5. श्री मगनलाल झांझोट, प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस भोपाल, की ओर उनके द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन दिनांक 05.07.2017 के संदर्भ में,
6. श्री सुरेन्द्र सिंह सोलंकी, प्रदेश अध्यक्ष, म.प्र. नगर पालिक निगम, नगर पालिका, कर्मचारी संघ भोपाल,
7. श्री अंशुम सिंह, वेब कान्ट्रेक्टर मेनेजर, नगरीय विकास एवं आवास विभाग,
8. आर्डर बुक,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01/08/17

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 5-1/2013/1/3 **भोपाल दिनांक 07 अक्टूबर, 2016**

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष,राजस्व मण्डल,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश ।

विषय:- कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिए "स्थायी कर्मियों को विनियमित करने की योजना"।

राज्य शासन द्वारा नियमितीकरण से वंचित दैनिक वेतन भोगियों के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है :-

1.1 इन्हें 'दैनिक वेतन भोगी' के स्थान पर 'स्थायी कर्मी' की श्रेणी दी जावे ।

1.2 इन्हें निम्नानुसार वेतनमान स्वीकृत किया जावे ।

श्रेणी	वेतनमान
1	2
अकुशल	4000-80-7000
अर्द्धकुशल	4500-90-7500
कुशल	5000-100-8000

निरन्तर.....2

1.3 वरिष्ठता का लाभ देने हेतु 01 सितम्बर, 2016 की स्थिति में उनके द्वारा पूर्ण किए वर्षों के आधार पर संबंधित वेतनमान में अंकित वेतनवृद्धि की दर से गणना कर उन्हें संबंधित वेतनमान में वेतन निर्धारण किया जावेगा ।

1.4 इस पर इन्हें मंहगाई भत्ता देय होगा। (वर्तमान 125 प्रतिशत)

1.5 कोई एरियर देय नहीं होगा ।

1.6 यह वेतन निर्धारण 01 सितम्बर, 2016 की तिथि से होगा। आगामी वेतनवृद्धि सितम्बर, 2017 से देय होगी ।

1.7 अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर 15 दिन प्रतिवर्ष के सेवाकाल के वेतन के आधार पर उपादान की पात्रता होगी। यह राशि अकुशल के लिए रू. 1,25,000/-, अर्द्धकुशल के लिए रू. 1,50,000/- एवं कुशल के लिए रू. 1,75,000/- तक सीमित होगी ।

1.8 ऐसे दैनिक वेतन भोगी जो दिनांक 16 मई, 2007 को कार्यरत थे, व दिनांक 01 सितम्बर, 2016 को भी कार्यरत हैं, इस वेतन क्रम एवं अन्य लाभों के लिए पात्र होंगे । दिनांक 16 मई 2007 के पश्चात शासन की अनुमति/अनुमोदन उपरान्त सक्षम अधिकारी द्वारा दैनिक वेतन भोगी के पद पर नियुक्त किये गये हैं इन्हें भी योजना की पात्रता होगी । दिनांक 01 सितम्बर 2016 के पूर्व सेवानिवृत्त/सेवा से पृथक किये गये अथवा मृत्यु हो चुके दैनिक वेतन भोगियों को इस योजना की पात्रता नहीं

निरंतर....

होगी । संविदा, अंशकालीन एवं आउट सोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों के लिए यह योजना लागू नहीं है ।

2. चतुर्थ श्रेणी के रिक्त नियमित पदों पर प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति हेतु एक योजना बनाई गई है जो **संलग्न परिशिष्ट- 'अ'** पर है । इस योजना के क्रियान्वयन हेतु मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) नियम, 2013 के नियम-7 में वर्णित समूह-6 में चतुर्थ श्रेणी की चयन प्रक्रिया को एक वर्ष के लिए स्थगित की जाती है ।

3. मान. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में जिन दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को कतिपय विभागों द्वारा आदेश जारी किये गये हैं, उन्हें पूर्ववत रखा जाए। जिन दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों द्वारा मान. उच्च न्यायालय में प्रकरण दायर किये गये हैं उन दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों द्वारा संबंधित न्यायालयीन प्रकरण वापिस लिये जाने पर प्रस्तावित योजना का लाभ दिया जाए।

4. निर्माण विभागों के अतिरिक्त अन्य जिन विभागों में दैनिक वेतन भोगी श्रमिक कार्यरत हैं, उन्हें वर्तमान में श्रमायुक्त द्वारा समय -समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। राज्य शासन एक कल्याणकारी राज्य होने की अवधारणा पर उस न्यूनतम मजदूरी से बेहतर मजदूरी देने के लिए इस श्रेणी के दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को भी स्थायी कर्मी का पदनाम देते हुए वही वेतनमान एवं सुविधाएं देय होगी जो उनके समकक्ष दैनिक वेतन भोगी को कंडिका-1.1 से 1.8 के अधीन निर्माण विभागों के स्थायी कर्मी को देय होगी। तदनुसार संबंधित विभागों द्वारा कार्यपालिक आदेश जारी किये जाएं ।

निरन्तर...

5. मध्यप्रदेश दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी (सेवा की शर्तें) नियम, 2013 जो कि संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत जारी किये गये हैं को निरस्त किया जाकर विभिन्न निर्माण उपरोक्त कंडिका- 1.1 से 1.8 के अनुसार मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आज्ञाएं) अधिनियम 1961 व नियम 1963 के अन्तर्गत इन निर्माण विभागों में कार्यरत श्रमिकों को औद्योगिक श्रमिक मानते हुए आदेश जारी किये जाऐंगे व संबंधित विभाग के स्थायी कर्मियों का नियमन तद्नुसार किया जाए।

6. कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(एम.के. वार्ष्णेय)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
भोपाल दिनांक 07 अक्टूबर, 2016

पृ.क्रमांक एफ 5-1/2013/1/3

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, म.प्र. राजभवन, भोपाल ।
2. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर/भोपाल ।
3. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर ।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, म.प्र. ।
5. मा. मंत्री/राज्यमंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, म.प्र.।
6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी म.प्र. भोपाल ।
7. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल ।
8. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल म.प्र. भोपाल।

निरन्तर...5

9. प्रमुख सचिव/सचिव/ उप सचिव/अवर सचिव(स्थापना/अधीक्षण) सा.प्र.विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
10. प्रमुख सचिव, म.प्र.विधान सभा सचिवालय, भोपाल ।
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म.प्र. भोपाल ।
12. सचिव, म.प्र. राज्य निर्वाचन, भोपाल ।
13. सचिव, लोकायुक्त, म.प्र.भोपाल ।
14. सचिव, लोक सेवा आयोग म.प्र. इन्दौर ।
15. मुख्य सचिव के उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र.।
16. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर, खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर।
17. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, म.प्र., भोपाल ।
18. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, म.प्र. ।
19. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, भोपाल ।
20. अध्यक्ष, म.प्र. राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल ।
21. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, भोपाल ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(सी.बी. पड़वार)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

परिशिष्ट-"अ"

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

विषयः- कार्यरत दैनिक वेतन भोगी "स्थायी कर्मियों" को नियमित सेवा के अधिक अवसर उपलब्ध कराये जाने बावत् । (चयन प्रकिया)

मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा(संयुक्त अर्हता) नियम, 2013 के नियम-7 के वर्णित समूह- 6 में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड को अधिकृत किया गया है । चतुर्थ श्रेणी के अधिकांश पद जिला स्तर के होते हैं । बोर्ड द्वारा प्रदेश स्तर पर आवेदन प्राप्त किये जाने से कही के निवासी व्यक्ति का दूरस्थ जिले में पदस्थापना प्राप्त हो जाती है जो निम्न वेतन भोगी के लिए कई व्यवहारिक कठिनाईयॉ उत्पन्न करती हैं इसको देखते हुए जिला स्तर पर चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निम्नानुसार चयन प्रकिया अपनाई जाए :-

(1) जिला स्तर के चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु चयन करने के लिए निम्नानुसार समिति गठित की जाए :-

1. संभागीय आयुक्त - अध्यक्ष
2. जिला कलेक्टर - सदस्य
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत - सदस्य
4. जिले के संबंधित विभाग का कार्यालय प्रमुख - सदस्य
5. अनुसूचित जाति/जनजाति का नामांकित अधिकारी - सदस्य

निरन्तर ... 2

(2) समिति का कार्य व चयन के मापदण्ड :-

1. चयन समिति जिले में कार्यरत स्थायी कर्मी चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन सूची तैयार करेगी ।

2. 10 वीं उत्तीर्ण स्थायी कर्मी को रिक्त पदों पर वरियता के आधार पर चयन किया जाएगा ।

3. यदि स्थायी कर्मी 12 वीं उत्तीर्ण है तो उसे वरियता अंक निर्धारित कर लाभ दिया जावेगा । 12 वीं उत्तीर्ण से अधिक योग्यताधारी को कोई वरियता अंक की पात्रता नहीं होगी ।

4. स्थायी कर्मी लम्बी अवधि से कार्य कर रहे हैं उन्हें वर्ष के आधार पर वरियता अंक निर्धारित कर मेरिट में सूची स्थान दिया जाएगा ।

5. यदि इस संवर्ग में कोई विधवा महिला अथवा पूर्व में अनुकंपा पर नियुक्त कर्मचारी 10 वीं उत्तीर्ण नहीं है तो 10 वीं उत्तीर्ण होने पर नियुक्ति की पात्रता होगी अर्थात समिति उनके नाम पर विचार करेगी ।

6. चयन समिति विभाग वार रिक्त पदों पर उसी कार्यालय में कार्यरत स्थायी कर्मी की चयन पर प्रथमतः विचार करेगी पात्र कर्मचारी उपलब्ध न होने पर अन्य कार्यालयों के कर्मचारियों की नियुक्ति देने पर विचार करेगी ।

नियुक्ति

7. स्थायी कर्मी को जिले के चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु कोई परीक्षा अथवा साक्षात्कार नहीं लिया जावेगा । निर्धारित मापदण्ड की पूर्ति होने पर मेरिट आधार पर चयन सूची तैयार की जावेगी ।

8. रिक्त पदों पर चयन/नियुक्तियॉ जिला स्तर पर निर्धारित रोस्टर के आधार पर पालन सुनिश्चित किया जावेगा ।

9. प्रतिनियुक्ति के पदों पर नियमितीकरण नहीं किया जा सकेगा ।

10. चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों की जानकारी संबंधित विभाग/कार्यालय प्रमुख द्वारा कलेक्टर को भेजा जावेगा । जिले के सभी कार्यालय से जानकारी प्राप्त होने पर चयन समिति की बैठक कराने का दायित्व संबंधित जिले के कलेक्टर का रहेगा ।

11. चयन समिति द्वारा चयन सूची तैयार कर संबंधित कार्यालयों को सूची भेजेगी । चयन सूची प्राप्त होते ही नियुक्तिकर्ता जिला कार्यालय प्रमुख द्वारा 15 दिवस के भीतर नियुक्ति आदेश जारी करेंगे ।

12. जिले के विभिन्न विभागों के जिला कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु वर्ष में 02 बार समिति की बैठक आयोजित की जाएगी ।

(सी.बी. पड़ोरा)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग